

डिस्कलेमर

आदेश संख्या 03/2022-23 के मुख्य पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फाइल संख्या ऐरा/20010/एमवाईटीपी/आईओएसडीपीएल/आईटीपी/डेल्ही/सीपी-III/2021-26

आदेश संख्या 03/ 2022-23



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मैसर्स इंडियन ऑयल स्काईटैकिंग डेल्ही प्राइवेट लिमिटेड (आईओएसडीपीएल) के संबंध में
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (आईजीआईए), दिल्ली में तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त
वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए इंटो प्लेन सेवाएं (आईटीपी) प्रदान करने के लिए
वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख: 25 मई, 2022

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

अध्याय 13. प्राधिकरण के निर्णयों का सार

आईओएसडीपीएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण संबंधी प्राधिकरण के निर्णयों (प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत दिए गए) का सार इस प्रकार है:

अध्याय और पैरा	प्राधिकरण के निर्णयों का सार		पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	2.6.1	प्राधिकरण आईओएसडीपीएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए 'सिंगल टिल' आधार पर "प्राइस कैप अप्रोच" अपनाने का निर्णय लेता है।	17
अध्याय संख्या 3	3.5.1	प्राधिकरण आईओएसडीपीएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 5 के अनुसार ईंधन श्रूपूट पूर्वानुमान मानने का निर्णय लेता है।	20
	3.5.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि में होने वाली ईंधन की वास्तविक बिक्री के आधार पर ईंधन श्रूपूट (मात्रा) को टूअप करने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 4	4.6.1	प्राधिकरण आईओएसडीपीएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 13 के अनुसार पूंजीगत व्यय को मानने का निर्णय लेता है।	29
	4.6.2	प्राधिकरण कैपेक्स लक्ष्य पूंजीकरण की समय-सारणी के अनुसार पूर्ण न होने पर टूअप के दौरान अगली नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित एआरआर/लक्ष्य राजस्व से पूंजीकृत न किए गए कैपेक्स की 1% राशि कम करने का निर्णय लेता है।	
	4.6.3	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर कैपेक्स को टूअप करने का निर्णय लेता है।	29
अध्याय संख्या 5	5.5.1	प्राधिकरण तालिका 17 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यहास को मानने का निर्णय लेता है।	30
	5.54.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर मूल्यहास को टूअप करने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 6	6.5.1	प्राधिकरण तालिका 20 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी) को मानने का निर्णय लेता है।	32
	6.5.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर मूल्यहास को टूअप करने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 7	7.6.1	प्राधिकरण तालिका 28 में दर्शाए अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को मानने का निर्णय लेता है।	40
	7.6.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को टूअप करने का निर्णय करने का लेता है।	
अध्याय संख्या 8	8.6.1	प्राधिकरण आईओएसडीपीएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 14% उचित प्रतिलाभ दर (एफआरओआर) मानने का निर्णय लेता है।	40
अध्याय संख्या 9	9.5.1	प्राधिकरण आईओएसडीपीएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर के निर्धारण के लिए तालिका 31 के अनुसार कराधान के प्रावधान को मानने का निर्णय लेता है।	44
	9.5.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय अदा किए गए वास्तविक करों के आधार पर कराधान के प्रावधान को टूअप करने का निर्णय लेता है।	

अध्याय संख्या 10.	10.5.1	प्राधिकरण आईओएसडीपीएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 36 के अनुसार एआरआर को मानने का निर्णय लेता है।	48
	10.5.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर एआरआर को टूअप करने का निर्णय करने का लेता है।	
अध्याय संख्या 11	11.5.1	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 39 के अनुसार वैमानिक राजस्व (इंटो प्लेन सेवाओं से प्राप्त राजस्व) को मानने का निर्णय लेता है।	49
	11.5.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर वैमानिक राजस्व को टूअप करने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 12	12.6.1	प्राधिकरण संलग्नक-I के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए आईओएसडीपीएल द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटो प्लेन सेवाओं की टैरिफ दर को मानने का निर्णय लेता है।	52

अध्याय 14. आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्त्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा आदेश देता है कि:

- (i) आईओएसडीपीएल को तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए संलग्नक -I में दिए अनुसार इंटो प्लेन सेवाओं के लिए टैरिफ लगाने की अनुमति दी जाती है।
- (ii) संशोधित टैरिफ **01 जून, 2022** से लगाई जाएगी।
- (iii) इसमें अनुमोदित टैरिफ दरों उच्चतम दरों हैं और इनमें यथा लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।
- (iv) हवाईअड्डा प्रचालक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री टी. एस. दुपारे,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इंडियन ऑयल स्काईटेकिंग प्राइवेट लिमिटेड
बैंगलोर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, देवनहल्ली,
बैंगलोर- 560300

प्रतिलिपि,

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय,
राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – **110 003**
2. श्री के. नारायण राव, निदेशक
डेल्ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
न्यू उड़ान भवन,
टर्मिनल -3 के सामने, आईजीआई हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110037

